न्यायालय लैण्ड रिकोर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा

(पीठासीन अधिकारी शक्तिसिंह भाटी आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 02/2018 प्रार्थना पत्र
दायर दिनांकः– 11.01.2018
निर्णय दिनांकः–21.06.2018

अनवान

1. नारायण पिता भैरूलाल माली गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
2. किशनलाल पिता भैरूलाल माली गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
3. प्यारी बेवा भैरूलाल माली गिलूण्ड तहसील रेलमगरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा
2. संतोषी पति शिवलाल खटीक गिलूण्ड तहसील रेलमगरा
3. शिवलाल पिता कूलराम खटीक गिलूण्ड तहसील रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129,111 भू राजस्व अधिनियम

निर्णयः

प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129,111 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम गिलूण्ड तहसील रेलमगरा की सरहद मे स्थित आराजी संख्या 4621/1938 रकबा 7–00 बीघा जमीन जो कि प्रार्थीगण के नाम अंकित है। प्रमाण मे नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रतिलीपी साथ सलंग्न है प्रार्थीगण की उक्त आराजी संख्या 4621/1938 के पूर्व दिशा मे रास्ता एव आराजी संख्या 1842 है जो विपक्षी संख्या 1 के नाम पर है , पश्चिम दिशा मे आराजी संख्या 4629/1938 स्थित है जो विपक्षी संख्या 1 के नाम पर स्थित है। तथा प्रार्थी की आराजी संख्या 4621/1938 के उत्तर दिशा मे आराजी संख्या 1842 है जो विपक्षी संख्या 1 के नाम पर स्थित है तथा प्रार्थी की आराजी संख्या 4621/1938 के दक्षिण दिशा मे आराजी संख्या 4627/1938 स्थित है जो विपक्षी संख्या 2 से लगायात 3 से नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। प्रमाण मे नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेसा की प्रमाणित प्रतिलीपी साथ सलंग्न है प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य व विपक्षीगण की आराजीयात के बीच किसी प्रकार कोई सीमांकन बाबत् स्थाई रूप से कोई चिन्ह अंकित नही है न ही मौके पर विद्यमान है जिससे प्रार्थीगण व विपक्षीगण के बीच सीमा को लेकर हमेशा विवाद होने की आंशका बनी रहती है जिससे प्रार्थीगण अपने स्वामित्व एव आधिपत्य की आराजी व विपक्षीगण की आराजीयात के बीच स्थाई रूप से सीमांकन के रूप मे पत्थरगढी करवाना चाहते है

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

ताकि भविष्य मे कभी सीमा संबधित विवाद नही हो। इस बाबत् प्रार्थीगण के लिऐ यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षी के प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। इस बाबत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत किया जा रहा है प्रार्थीगण की आराजी 4621/1938 व विपक्षीगण की आराजी संख्या 1842, 4629/1938, 4627/1938 ,1937 के बीच किसी प्रकार के स्थाई सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षी संख्या 2 व 3 आये दिन सीमा संबधित विवाद करते रहते है। जिस बाबत् प्रार्थीगण ने दिनांक 30/10/2014 को सीमा संबधित जानकारी हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 09/12/2014 को भू अधिकारी गिलूण्ड द्वारा मौके पर आकर सीमा जानकारी हेतू आये व सीमा की मौके पर नपती कर जानकारी की मगर विपक्षीगण संख्या 2 व 3 नही मानकर लडाई झगडा करने पर आमादा हो रहे है जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा विवश होकर प्रार्थना पत्र आप न्यायालय मे प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रार्थना पत्र का हेतू जब जब प्रार्थीगण ने विपक्षीगण संख्या 2 व 3 को पत्थरगढी कराने के लिए कहा गया तो विपक्षीगण सख्या 2 व 3 ने टालमटोल का जवाब दिया व सीमा जानकारी के बाद भी लडाई झगडा करने पर उतारू होने से दिनांक 05/07/2017 को विपक्षीगण के द्वारा सीमा जानकारी होने पर भी बाद नही मानने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी संख्या 4621/1938 व विपक्षीगण की आराजी संख्या 1842, 4629/1938, 4627/1938 ,1937 की सीमा के बीच पत्थर गढी कराने का आदेश तहसीलदार साहब रेलमगरा के नाम पर फरमाया जावे। नियमानुसार खर्चा जमा कराने को तैयार है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई विपक्षीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहे पत्रावली राजस्व न्याय आपके द्वार 2018 के राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प गिलूण्ड पर रखी गई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित विपक्षीगण, बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया प्रार्थी अधिवक्ता को सूना गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम गिलूण्ड की आराजी संख्या 4621/1938 व विपक्षीगण की आराजी संख्या 1842, 4629/1938, 4627/1938 ,1937 के बीच पत्थर गढ़ी किया जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थर गढ़ी की जावें। वक्त पत्थर गढ़ी प्रार्थी कमिश्नर शुल्क 500 रूपये अदा करे। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को कैम्प गिलूण्ड में सूनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा